



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 83]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 90(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाये गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कंडला पोर्ट ट्रस्ट (नौचालकों को प्राधिकृत) संशोधन विनियम, 2013 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

[सं. एच-11011/6/2004-पीई-1]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

## अनुसूची

### कंडला पोर्ट ट्रस्ट (नौचालकों को प्राधिकृत) विनियम 2013

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंडला पोर्ट (नौचालकों को प्राधिकृत किया जाना) विनियम 1964 का अधिक्रमण करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

#### भाग- I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) ये विनियम कंडला पोर्ट (नौचालकों को प्राधिकृत किया जाना) विनियम, 2013 कहे जा सकेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) " बोर्ड " "अध्यक्ष " "उपाध्यक्ष" के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 को 38 ) में नियत किये गये हैं।

(ख) " नियंत्रण केन्द्र " से तात्पर्य है वह केन्द्र जिसके माध्यम से पोतचालन के निर्देश और प्रबंध निहित किये गये हैं।

(ग) "उपसंरक्षक " से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो उनके लिए महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 को 38 ) में निहित किये गये हैं।

(घ) " हार्बर मास्टर से समय-समय पर उपसंरक्षक द्वारा पोतचालन का प्रचालन से संबंधित सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप संरक्षक द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है

(ङ) "अनिवार्य यान मार्ग दर्शन जल क्षेत्र सीमा " से ऐसी सीमाये अभिप्रेत हैं जो भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 (1908 का 15 ) की धारा 4 की उप धारा (2) के अधीन परिभाषित है।

(च.) "बाहरी तूणा बोया " से आनेवाले जलयानों के प्रवेश मार्ग स्थल का सुपथ बोया अभिप्रेत है। पोतचालन अनिवार्य है और पोतचालक बाहरी तूणा बोया के निकट पोतचालन स्थल पर आनेवाले जलयानों पर चढ़ते हैं और जानेवाले जलयानों से उतरते हैं।

(छ) "मास्टर" अथवा "जलयान के मास्टर" में एक ऐसा अधिकारी (पोतचालक अथवा हार्बर मास्टर को छोड़कर) समाविष्ट है जिसे जलयान का समस्त कमान अथवा भार प्राप्त है और जिससे जलयान की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी उपकरण जिसमें लंगर और जलयान स्टियरिंग का भी समावेश है, तैयार रखना अपेक्षित है।

(ज) "पायलट" से एक ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे परामर्शी के हैसियत से जहाजों को पोर्ट से ले आने और ले जाने के लिए मार्गदर्शन कार्य निष्पादित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया है और जो सीधे हार्बर मास्टर और उपसंरक्षक के अधीन काम करता है।

(झ) "नौचालक अनुज्ञप्ति" से पोर्ट की पोर्ट सीमा के अन्दर जलयानों का पोतचालन कार्य निर्वहन करने हेतु किसी व्यक्ति को जारी की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है।

(ञ). "पोर्ट" से कंडला पोर्ट अभिप्रेत है।

## **भाग - II**

### **अनुज्ञप्ति देना - अर्हताएँ और शर्तें**

#### **3. उम्मीदवारों की अर्हताएँ :-**

(1) कोई उम्मीदवार नौचालन अनुज्ञप्ति के लिए -

क. भारतीय नागरिक हो।

ख. अच्छे चरित्र और संयम का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

ग. वह निम्नलिखित धारक हों :-

- I. भारत सरकार अथवा समकक्ष द्वारा दिए जानेवाला "विदेशगामी मास्टर" के रूप में सक्षमता प्रमाण-पत्र हो और उसके पास विदेशगामी जहाज पर "प्रथम मेट" के रूप में छः माह का अनुभव हो, उसे वरियता दी जाएगी : अथवा
- II. नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया निकर्षण मास्टर का प्रमाण-पत्र हो और निकर्षण मास्टर के रूप में अधिमानतः दो वर्ष का अनुभव हो, अथवा
- III. नौवहन महानिदेशालय के साथ समय-समय पर किए गए परामर्श से बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पोर्ट में नौचालकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के अधीन नौचालक के रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो।

(घ) इस प्रयोजनार्थ अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से शारारिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा : और

(ङ) जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निश्चित नहीं किया जाता तब तक वह परिवीक्षा प्रशिक्षण में कम से कम छः माह कार्य करेगा और विनिर्धारित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करेगा ।

बशर्ते कि परिवीक्षा अवधि ऐसे पर्याप्त और वैध कारणों की वजह से छः माह से अधिक बढ़ा न दी गई हो जैसे कि,

- (i) ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं की बीमारी अथवा पर्याप्त और ठोस कारणवश छुट्टी पर जाने के कारण अथवा किसी राष्ट्रीय आपात आदि के कारण प्रशिक्षण के अपेक्षित चरण पूरे करने में असमर्थ रहता है
- (ii) पोर्ट अथवा भारत सरकार के हित में उम्मीदवार को कुछ अन्य कार्य (पूर्वकार के साथ) जैसे ड्रेजिंग मास्टर, बर्थिंग मास्टर आदि कार्य सौंपा जाना अपेक्षित हो जाएं तथा इस कारण वह अपना प्रशिक्षण संबंधित आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ रहे ।
- (iii) कोई उम्मीदवार यदि नियत अवधि के दौरान वैध कारणों से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहता है और अध्यक्ष की राय में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे एक उचित मौका दिया जाना जरूरी हो ।
- (iv) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में विशेष अतिरिक्त प्रशिक्षण अथवा मार्गदर्शन आवश्यक प्रतीत होता हो ।

परंतु आगे कि परिवीक्षा प्रशिक्षण की अवधि निम्नलिखित परिस्थितियों में कम की जा सकती है :

- (i) यदि उम्मीदवार उक्त पोर्ट ट्रस्ट में नौचालक रहा हो और तत्पश्चात् पुनः कार्यभार ग्रहण किया हो ।
- (ii) यदि भविष्य में प्रशिक्षणार्थ अनुरूपक जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग हो ।

**(2) स्टेशन में स्थिति, विवरण तथा पताकाओं और पोतचालन लाँच/ नौका की पहचान से संबंधित संकेत-**

- 1) नौचालक नौचालन लाँच द्वारा बाहरी तूणा बोया में आनेवाले जलयानों पर चढ़ेगा तथा बाहर जानेवाले जलयानों से उतरेगा ।
- 2) लाँच अथवा नौका के दोनों तरफ पोत मध्य में "पायलट" शब्द लिखा होगा ।

3) नौचालन लाँच जब स्टेशन पर होगी तब-

- (क) दिन के दौरान एक ऐसी लाल तथा सफेद पताका प्रदर्शित की जाएगी जिसका ऊपरी अर्ध क्षैतिज सफेद और निचला क्षैतिज लाल होगा, और
- (ख) रात्रि के दौरान तत्समय प्रवृत्त नियम अथवा विधि के अनुसार प्रकाश व्यवस्था की जाएगी.

(3) **नौचालन स्टेशन तथा तटीय स्टेशन :-** हार्बर मास्टर सिग्नल स्टेशन के माध्यम से नौचालकों का जहाज पर चढ़ना तथा उतरना मानीटर करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा ।

(4) **नौचालकों पर हार्बर मास्टर का नियंत्रण :-** पत्तन में प्रवेश करते समय या उसे छोड़ते समय या पत्तन में लंगर डालते समय या जलयान को किसी घाट पर लगाते या उतारते समय नौचालन कार्यो में लगे नौचालकों पर हार्बरमास्टर का नियंत्रण होगा । हार्बर मास्टर अथवा उसकी तरफ से कार्य करने वाले अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नौचालक मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। मुख्यालय छोड़ने की अनुमति माँगने के दौरान उन नौचालकों को अपना पता तथा टेलीफोन नंबर देना होगा ताकि आवश्यकता होने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

**4. नौचालक अनुज्ञप्ति -(1)** सभी नौचालकों के पास कंडला पोर्ट में नौचालन करने संबंधी अनुज्ञप्तियाँ होनी चाहिए । ये अनुज्ञप्तियाँ, केन्द्र सरकार की संस्वीकृति के अधीन रहते हुए सीमित पोतचालन कार्य अथवा पूर्ण नौचालन-कार्य के लिए अध्यक्ष के हस्ताक्षर से और बोर्ड की सामान्य मोहर से बन्द करते हुए जारी की जाएंगी तथा अध्यक्ष द्वारा प्रतिसंहरणीय होंगी ।

(2) पोर्ट से अपने संपर्क तोड़नेवाला नौचालक अपनी अनुज्ञप्ति तत्काल उपसंरक्षक के सुपुर्द करेगा ।

(3) यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा प्रतिसंहरणीय होंगी :-

- (क) दुराचार और अथवा आचरण और अनुशासन के नियमों के अधीन दुराचरण सिद्ध हो जाता है ।
  - (ख) वृत्तिक दुराचार; (अर्थात् समय समय पर लागू पोतचालन से संबंधित विनियमों से जान बूझकर व्यतिक्रम अथवा अनुसरण नहीं करना )।
  - (ग) नौवहन से संबंधित ऐसी आकस्मिकताएँ ( दुर्घटनाएँ ) जहां व्यावसायिक क्षमता का सवाल उठता है अथवा दुर्घटना संबंधी जाँच पड़ताल के बाद लापरवाही सिद्ध हो जाती है ।
  - (घ) जहाँ समुद्री दुर्घटनाओं की जाँच हेतु स्थापित की गई औपचारिक अदालत, नौचालक को दुर्घटना के लिए जवाबदार मानती है ।
  - (ङ) जैसा कि नीचे दिए गए विनियम (2) के अधीन अपेक्षित है , सेवा की समाप्ति पर अनुज्ञप्ति वापस सुपुर्द नहीं की जाती है , और
  - (च) नौचालन कार्यो के लिए चिकित्सक दृष्ट्या- अयोग्य पाये जाने पर ।
- (4) उपसंरक्षक के पद तक नौचालन सेवा में अनुवर्ती पदोन्नतियाँ मिलने पर भी नौचालक को अपनी अनुज्ञप्ति रखनी होगी और आवश्यकतानुसार जलयानों का पोतचालन करना होगा ।

**5. नौचालन सेवा में शामिल होने की शर्तें :-** किसी व्यक्ति को नौचालक के रूप में जब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अध्यक्ष का यह समाधान न करें कि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, अर्थात् :-

- (क) कंडला पोर्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति ) विनियम, 1964 के विनियम 14 (ख) और 14 (ग) में अधिकथित पात्रता की शर्तें ;
- (ख) वह परिवीक्षाधीन नौचालक के रूप में नियुक्ति की तारीख को 25 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक आयु का न हो, जब तक अध्यक्ष द्वारा छूट नहीं दी गई हो ।
- (ग) यह कि उसके पास नीचे विनियम 3 में दी गई अर्हताएँ हो ।

### भाग - III

#### प्रशिक्षण तथा परीक्षा

**6. प्रशिक्षण -** (1) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन नौचालक को नौचालकों के कार्य, बन्दरगाह के प्रकाश, सीमाचिह्न, बोया पद्धति आदि, पोर्ट के पोतचालन जल के अन्दर जलयानों का प्रहस्तन, गोदी बेसिन में जलयानों को घाट पर लगाने अथवा घाट से हटाने, पोर्ट ट्रस्ट के निजी शोषण(सक्सन) निकर्षक का प्रहस्तन तथा उनके निकर्षण उपकरणों का प्रचालन आदि के अनुदेश दिए जाएंगे ।

(क) प्रशिक्षण पूरा होने पर उप संरक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए परिवीक्षाधीन नौचालक जहाज चलाने से संबंधित अपनी योग्यता की परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकता है,

परन्तु कि प्रशिक्षण की अवधि ऐसे पर्याप्त और ठोस कारणों के तीन महिनों से परन्तु छः माह से अधिक नहीं, आगे बढ़ाई जा सकती है यथा:-

- (i) ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं की बीमारी अथवा पर्याप्त और ठोस कारणवश छुट्टी पर जाने के कारण अथवा किसी राष्ट्रीय आपात आदि के कारण प्रशिक्षण के अपेक्षित चरण पूरे करने में असमर्थ रहता है ।
- (ii) कोई उम्मीदवार यदि नियत अवधि के दौरान वैध कारणों से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहता है और अध्यक्ष की राय में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे एक उचित मौका दिया जाना जरूरी हो ।

परन्तु आगे कि परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशिक्षण निम्नलिखित परिस्थितियों में कम किया जा सकता है :-

- (i) यदि परिवीक्षाधीन नौचालक कंडला पोर्ट ट्रस्ट में अथवा देश के किसी अन्य महा पत्तन में नौचालक रहा हो और तत्पश्चात् कंडला पोर्ट ट्रस्ट में पुनः कार्यभार ग्रहण किया हो ।
- (ii) यदि भविष्य में प्रशिक्षणार्थ अनुरूपक जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग हो ।

(ख) कंडला में सीमित पायलट कार्य के लिए अनुज्ञप्ति संबंधी उम्मीदवार को उक्त (क) तथा अपेक्षओं का पालन करना होगा और सिवाय इसके कि जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाए उसे कम से कम एक माह की प्रशिक्षण अवधि अथवा जब तक पायलट कार्य के कम से कम तीस कार्य संपन्न नहीं कर लेता जिसमें सरणि को पार करना भी शामिल है, इनमें से जो भी बाद में हो, सेवा करनी होगी।

(ग) इस प्रशिक्षण की समाप्ति पर अगर हार्बर मास्टर उसकी सिफारिश करें और उप संरक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए परिवीक्षाधीन नौचालक चाहे तो सीमित पोतचालन कार्य संबंधी अनुज्ञप्ति के लिए अपनी परीक्षा लिए जाने हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) नौचालक अनुज्ञप्ति के लिए कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाता क्योंकि परिवीक्षाधीन नौचालक पोर्ट ट्रस्ट का कर्मचारी है और जब कभी भी नौचालक पोर्ट ट्रस्ट की नौकरी छोड़ता है तो उसे इस प्रकार जारी की गई अनुज्ञप्ति सदैव वापस ले ली जाती है।

(3) ऐसा उम्मीदवार जिसे नौचालक के रूप में नियुक्ति हेतु चुना गया है उसे इन विनियमों में परिशिष्ट "क" पर संलग्न यथानिर्धारित प्रपत्र में दो वर्षों की अवधि के परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् कम से कम पांच वर्षों तक कंडला पोर्ट ट्रस्ट की सेवा करने से संबंधित एक बंधपत्र निष्पादित करना होगा। क्षतिपूर्ति राशि, प्रशिक्षण पर खर्च की गई लागत सहित प्रशिक्षणार्थी के वेतन अथवा वृत्तिका के रूप में अदा की गई राशि के समतुल्य रहेगी।

**7. परीक्षा के विषय :-** परीक्षा में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे अर्थात्:-

- बंदरगाह में नौसंचालन तथा गोदियों एवं पोतघाटों के प्रवेश मार्गों के लिए तैयार किए गए विनियम और नियम।
- किन्हीं दो स्थानों के बीच मार्ग और अंतर।
- लहरों का ज्वार-भाटा।
- ध्वनियों की गहनता और स्वरूप।
- लंगरगाह, चट्टान, उथले स्थान और दूसरे खतरे, सीमा चिह्न, बोया और बीकन और पत्तन के अंदर के प्रकाश
- पोतों और स्टीमरों का प्रबंध, उन्हें स्थिरण तक कैसे लाया जाए किसी ज्वार भाटे के मार्ग में उन्हें उनके स्थिरणों से कैसे बचा कर रखा जाए,
- लंगर डालना और लंगर खोलना और प्रस्थान करना
- सभी परिस्थितियों में जलयान को संभालना और
- अन्य ऐसे विषय जो इस बारे में परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किए जाएं।

**8. परीक्षा समिति :** परिवीक्षाधीन नौचालक की परीक्षा निम्न रूप में गठित परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाएगी जो इस प्रकार है :

(i) उप संरक्षक	अध्यक्ष
(ii) हार्बर मास्टर	सदस्य
(iii) विदेश गामी जलयान का मास्टर	सदस्य

निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने पर परिवीक्षाधीन नौचालक जहाजों के प्रशिक्षणार्थी की क्षमता के संबंध में दो वरिष्ठ नौचालकों तथा हार्बर मास्टर की सिफारिशों के अधीन रहते हुए सीमित पोतचालन कार्य संबंधी अनुज्ञप्ति के लिए अपनी परीक्षा लिए जाने हेतु उपसंरक्षक को आवेदन कर सकता है ।

**9. परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफलता :** (1) किसी परिवीक्षाधीन नौचालक को अपनी नियुक्ति के नौ महीने के अंदर विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने की दशा में उसे सेवोन्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(2) किसी परिवीक्षाधीन नौचालक के अपने प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद परीक्षा में असफल रहने की दशा में उसकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जाएगी और उसे दूसरी बार परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी । यदि दूसरी परीक्षा में भी उसका निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में परिवीक्षाधीन नौचालक के रूप में उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी ।

**10. लाइसेंस जारी करना :** (1) उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद नौचालक को उपरोक्त 4 के अधीन नौचालक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी ।

(2) नौचालक की अनुज्ञप्ति का शुल्क और यदि वह विकृत अथवा खो गया, तो उसके नवीकरण की फीस बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी ।

**11. नौचालकों का वर्गीकरण :** (1). किसी नौचालक को अनुज्ञप्ति मिल जाने पर निम्नवत् जलयानों का नौचालन करने की अनुमति दी जाएगी :-

(क) प्रथम छः माहों के दौरान जलयानों को घाट पर लगाने से संबंधित तथा सेवाओं से संलग्न हो तथा ऐसे जलयान ( सिवाय खतरनाक पेट्रोलियम टैंकरों, युद्ध पोतों तथा विस्फोटकों से लदे हुए जहाजों के ) जिनका सकल पंजीकृत टन केवल दिन के समय 11000 से अधिक न हो ; को घाट पर लगाने अथवा घाट से हटाने से संबंधित कार्य निर्धारित करना ।



- (ख). अगले तीन माहों के दौरान, ऐसे जलयान ( सिवाय खतरनाक पेट्रोलियम टैंकरों, युद्ध पोतों तथा विस्फोटकों से लदे हुए जहाजों के ) जिनका सकल पंजीकृत टन केवल दिन के समय 16000 से अधिक न हो ;
- (ग). अगले तीन माहों के दौरान, ऐसे जलयान ( सिवाय खतरनाक पेट्रोलियम टैंकरों, युद्ध पोतों तथा विस्फोटकों से लदे हुए जहाजों के ) जिनका सकल पंजीकृत टन अन्धकार के समय 12000 हो ;
- (घ). अगले छः माहों के दौरान, उप संरक्षक तथा हार्बर मास्टर द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दिन के दौरान अप्रतिबंधित टनभार, प्रकार तथा श्रेणी के जलयान तथा अन्धकार के समय किसी भी प्रकार अथवा श्रेणी के 16000 सकल पंजीकृत टन के जलयान ;
- (ङ.) तत्पश्चात् छः माह की समाप्ति के बाद दिन तथा रात के दौरान पूर्ण टनभार अथवा खुला टन अर्थात् बिना किसी प्रतिबंध के सभी जलयान ।

टिप्पणी : -

- (I). किसी भी नौचालक का एक श्रेणी से अगली उच्चतर श्रेणी में स्थानान्तरण किया जाना हार्बर मास्टर की सिफारिश तथा उप संरक्षक के अनुमोदन के अधीन रहेगा ।
- (II) यदि नौचालक द्वारा कोई अवकाश लिया जाता है तो उपरोक्त विनिर्दिष्ट तीन माहों अथवा छ माहों की अवधि को अवकाश की अवधि द्वारा बढ़ा दिया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण** :- उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ “अंधकार के समय” से अभिप्रेत है सूर्यास्त के पश्चात आधे घंटे तक से लेकर सूर्योदय के पूर्व आधे घंटा ।

#### भाग - IV

##### तटीय स्टेशन - मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण

12. **नौचालकों के कर्तव्य** : नौचालकों के कर्तव्य में निम्नलिखित समाविष्ट हैं :-

- (क) जलयानों को बन्दरगाह के अन्दर ले आने और बाहर ले जाने, घाट पर लगाने, उस घाट से हटाने तथा जलयानों का स्थान परिवर्तन करने में संबंधित पोतचालन करना :
- (ख) जब कभी आवश्यक हो, उप संरक्षक के अनुदेश पर निकर्षकों की और पोर्ट सीमा से बाहर जाते हो तब पोर्ट के जलयान अथवा कर्षनौकाओं की और साथ ही कामगारों द्वारा होनेवाली हड़ताल आदि जैसे आपात में उनकी कमान लेना ।

(ग) जलयान के विराम के दौरान एकल बोया नौबंद (एसबीएम) पर पोतचालन कार्य के दौरान वापस खींचने से संबंधित प्रचालन कार्य हाथ में लेना तथा उसे मानीटर करना ।

**13. डाक मास्टर्स का शोअर स्टेशन पर कार्य** - डाक मास्टर्स, उप-संरक्षक द्वारा समय-समय पर दिय गए आदेश के अनुसार तय अवधि के लिए, बारी बारी से विभिन्न शोअर स्टेशनों पर अपना कार्य करेंगे । नियंत्रण स्थानक पर तैनात डाक मास्टर, व्हीटीएमस स्टेशन के नियंत्रण सहित, उप-संरक्षक द्वारा दी गई सुचनाओं के अनुसार काम करेगा ।

**14. नौचालन स्टेशन और तट स्टेशन** - नियंत्रक स्टेशन स्थित हार्बर मास्टर, मास्टर नौचालकों अथवा नौचालकों का जहाज पर चढ़ना/से उतरना मॉनिटर करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा ।

**15. नौचालकों का प्रचालनीय नियंत्रण** - पोर्ट के अंदर किसी भी लंगरगाह, घाट, गोदी पर जहाज के पोर्ट में आते समय या जाते समय, नौबंद लगाते डालने या निकालने के समय, घाट लगाते समय या घाट से हटाते समय मास्टर नौचालक और जहाजों के पोतचालन कार्य प्रभारी पातचालन हार्बर मास्टर के नियंत्रणाधीन होंगे ।

**16. अंदर आने वाले जहाजों पर चढ़ना, आदि** - नियंत्रण स्टेशन स्थित हार्बर मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि जिन्हें नौचालकों की आवश्यकता है उन पर मास्टर नौचालक एवं नौचालक अपनी बारी पर अंदर की ओर आने वाले नौचालकों की विधिवत् सवार होते हैं तथा, यह भी सुनिश्चित करेगा कि, बाहर जाने वाले जहाजों से मास्टर नौचालक/नौचालक जाते हैं ।

**17. विशेष परिस्थितियों में नौचालकों को उच्चतर टनभार के जलयान का कार्यभार लेने के निदेश देने का अधिकार** - उपसंरक्षक अथवा हार्बरमास्टर, यदि आवश्यक हो तो, नौचालक को किसी ऐसे जलयान के नौचालन का निदेश दे सकते हैं जिसका टनभार, उस टनभार से अधिक हों जिसके लिए वह नौचालन हेतु विनियम 12 के अधीन अर्हित है । ऐसे सभी मामलों में उपसंरक्षक अथवा हार्बरमास्टर उसकी राय में ऐसी कार्रवाई किये जाने की अनिवार्यता के कारण दर्शाते हुए लिखित रूप में तत्काल एक रिपोर्ट अध्यक्ष को भेजेगा ।

**18. जलयानों पर नौचालकों की उपस्थिति का हार्बर मास्टर द्वारा विनियमन किया जाना** - हार्बर मास्टर के पर्यवेक्षण के अधीन तट ड्यूटी के नौचालकों को ऐसे जलयानों पर, जिनमें सेवाएं अपेक्षित हों, तैनात किया जाएगा और नौचालकों का ऐसा क्रम दशनिवाली एक सूची पर उनकी संबंधित श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उन्हें ऐसे जलयानों पर आबंटित किया जाना है, तैयार की जाएगी और वह उप संरक्षक अथवा हार्बर मास्टर के

कार्यालय में रखी जाएगी। उप संरक्षक के कार्यालय में तैयार की गई सूची के अनुसार वैयक्तिक संचलन हेतु नौचालकों का आबंटन तथा नौचालकों के आबंटनों में परिवर्तन अथवा उसके निरस्तीकरण द्वारा किए जाने वाले किसी भी समायोजन की सिग्नल स्टेशन द्वारा देखभाल की जाएगी।

## भाग - V

### नौचालकों के कार्य

**19. नौचालकों द्वारा प्राधिकारियों के आदेशों का पालन किया जाना :** नौचालक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप संरक्षक और अथवा हार्बर मास्टर द्वारा दिए गए या जारी किए गए सभी आदेशों और विनियमों का पालन करेगा और उन्हें कार्यान्वित करेगा। साथ ही वह अपने अधीनस्थ जलयानों को घाट पर लगाने, घाट से हटाने, स्थानपरिवर्तन करने तथा नौकर्षण करने से संबंधित उपसंरक्षक अथवा हार्बर मास्टर द्वारा दिए गए सभी आदेशों का भी पालन करेगा।

**20. नौचालक का व्यवहार :** (1) नौचालक हर समय अपना दृढ़ संतुलन बनाये रखेगा। वह उस पूरे समय के दौरान जब कोई जलयान उसके नियंत्रण में हो उसकी सुरक्षा और दूसरे जलयानों तथा संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतेगा। वह मालिक या कमान अफसर के लिखित आदेशों के बिना जलयान को जमीन के निकट नहीं लाएगा।

(2) नौचालक बोर्ड का कर्मचारी है और वह सेवा संबंधी अपने मामलों के लिए कंडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा प्रोन्नति) विनियम द्वारा शासित है अतः सेवाकाल के दौरान कोई दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार होने की स्थिति में कंडला पोर्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) के रूप में समय-समय पर संशोधन विनियम के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही, प्रारंभ की जा सकती है।

**21. नौचालकों द्वारा अपने द्वारा की गई सेवा का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना -**

नौचालक के किसी जलयान के फलक पर होने पर आगमन अथवा प्रस्थान की रिपोर्ट मास्टर को देगा, जो उसमें सभी अपेक्षित विवरण भरेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। जलयान के मध्य तल में पहुंचने से पूर्व आगमन रिपोर्ट तथा बाहरी तूणा बोया में पहुंचने से पूर्व प्रस्थान रिपोर्ट विधिवत् भरकर नौचालक को वापस कर दी जाएगी। नौचालक के कर्तव्य पूरे हो जाए तब वह परिवहन और स्थिरण के प्रमाणपत्र भरेगा और हस्ताक्षर के लिए मास्टर को प्रस्तुत करेगा।

**22. नौचालकों का जलयान के फलक पर समय पर पहुंचना -** जब कोई नौचालक किसी ऐसे जलयान का कार्यभार ग्रहण कर रहा हो, जो पत्तन से बाहर जानेवाला हो या उस बर्थ से निकाला जानेवाला है जिसमें वह लंगर डाले हुए है तो वह फलक पर आएगा और उस

समय नियुक्त कमान अफसर के सामने उपस्थित होगा अर्थात् जलयान समुद्र में ले जाने या उसके गंतव्य पर जाने से पर्याप्त समय पूर्व वह उपस्थित हो जाएगा।

**23. नौचालक यह देखना कि जलयान और उसके उपकरण अच्छी स्थिति में हैं -**

कोई नौचालक किसी ऐसे जलयान का कार्यभार संभालने से पूर्व जो अन्तः गमन अथवा बाह्यगमन के लिए प्रतिबद्ध है अथवा जलयान को हटाने से पूर्व, जलयान के मास्टर से यह पूछेगा कि क्या परिचालन गियर जुड़ा हुआ है और सुचारू रूप से काम कर रहा है और यह निर्देश देगा कि बाहर प्रस्थान के लिए दोनों लंगर तैयार रहे।

**24. नौचालक का जलयान के संचलन से परिचित होना -** सभी नौचालक जलयान पर चढ़ाई से पूर्व स्वयं को बन्दरगाह के जलयानों के संचलन तथा उन में से प्रत्येक के नौचालकों से परिचित करेंगे।

**25. नौचालकों के बाह्यगमन कर्तव्यों का प्रारंभ -** पत्तन से बाहर जानेवाले किसी जलयान के संबंध में किसी नौचालक के कर्तव्य किसी घाट, पोत घाट, जेटी या लंगरगाह पर स्थित जलयान के फलक पर होने से आरंभ होंगे।

**26. नौचालकों के बाह्य गमन कर्तव्य का समाप्त होना -** पत्तन से बाहर जानेवाले किसी जलयान के संबंध में किसी नौचालक के कर्तव्य उस समय समाप्त होंगे जब वह जलयान को अनिवार्य यान मार्ग दर्शन जल क्षेत्र में (बाहरी तूणा बोया) ले जाए।

**27. नौचालक के अंतःगमन कर्तव्यों का आरंभ होना -** पत्तन में आने वाले जलयान के संबंध में किसी नौचालक के कर्तव्य उस समय आरंभ होंगे जब वह पत्तन की अनिवार्य यान मार्ग दर्शन जलक्षेत्र (बाहरी तूणा बोया) के अन्दर उस पायलट स्टेशन पर जलयान पर चढ़े।

**28. नौचालक के अन्तःगमन कर्तव्यों का समाप्त होना -** पत्तन में आनेवाले किसी जलयान के संबंध में किसी नौचालक के कर्तव्य किसी घाट, पोतघाट, बर्थ या जेटी या लंगरगाह पर उस समय समाप्त होंगे जब उसमें जलयान के सुरक्षित रूप से लंगर डलवा दिया जाता है या स्थिर करा दिया जाता है। किन्तु, एकलबोया नौबन्ध प्रचालन के मामले में नौचालक जहाज पर रहेगा ताकि जलयान के पडाव के दौरान वापस जाने का प्रचालन कार्य मॉनीटर किया जा सके।

**29. जलयानों का संचलन -** कोई नौचालक पत्तन के अन्दर किसी जलयान को एक स्थान से दूसरे पर तब तक नहीं ले जाएगा या ले जाने का निदेश नहीं देगा जब तक निम्नलिखित शर्तें पूरी न हो जाएं :-

- (i). यदि जलयान मार्ग में हो तो मास्टर फलक पर होगा,
- (ii). यदि मास्टर संचलन पूर्ण होने से पूर्व जलयान छोड़ देता है तो नौचालक जलयान को ऐसी सुरक्षित स्थिति में लंगर डालने का निदेश देगा जिसमें जलयान को

सर्वाधिक आसानी से ले जाया जा सके और संचलन के लिए तब तक निदेश नहीं देगा जब तक मास्टर जलयान पर वापस न आ जाए।

- (iii). पूरी यात्रा के दौरान जलयान पर ड्यूटी के लिए उपलब्ध अधिकारियों और कर्मी दल की संख्या किसी ऐसे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए ऐसी पर्याप्त संख्या होगी जो अपेक्षित हो और यदि फलक पर नौचालक यह समझे कि संख्या पर्याप्त नहीं है तो वह मास्टर का ध्यान पत्तन के नियमों की और आकर्षित करेगा और तब तक आगे चलने से इंकार करेगा जब तक मास्टर इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर न करें कि वह स्पष्ट तौर पर पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करता है।

**स्पष्टीकरण :** इस विनियम में "मास्टर" पद में मास्टर के लिए काम करने के लिए, जब वह अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता हो, प्रथम या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य अधिकारी शामिल है।

**30. नौचालकों द्वारा उतरने पर रिपोर्ट करना -** किसी जलयान के अन्तःगमन नौचालन और / अथवा जलयान को सरणी में ले जाने अथवा जलयान के पोतचालन कार्य से लौटने के बाद, जलयान से उतरने पर वह नौचालक आगे की ड्यूटी के लिए सिग्नल स्टेशन को इस प्रयोजनार्थ रखे गए रोस्टर में अपना नाम दर्ज करते हुए अपने तटपर उतरने के समय की अविलंब रिपोर्ट करेगा।

**31. सिग्नल प्रतिकूल होने की स्थिति में नौचालकों द्वारा जलयानों को गोदी में नहीं लाना -** सिवाय जब तक तटीय स्टेशन ऐसा करने की निर्बाधता न दे, कोई भी नौचालक जलयान को गोदी में अथवा घाट में संपार्श्व में नहीं लाएगा।

**32. नौचालकों द्वारा, जब से ड्यूटी पर हो, अपनी अनुज्ञप्तियां इत्यादि अपने साथ रखा जाना -** जब कोई नौचालक ड्यूटी पर हो, वह सदैव पत्तन के लिए एक सरकारी ज्वर सारणी, पत्तन नियमों की प्रति, तत्समय प्रवृत्त नौचालन विनियम और अपनी अनुज्ञप्ति अपने साथ रखेगा।

**33.. अनुज्ञप्ति का गुम हो जाना -** जिस नौचालक की अनुज्ञप्ति गुम हो जाती है वह उसकी सूचना तत्क्षण, उन परिस्थितियों को बताते हुए जिनमें अनुज्ञप्ति गुम हुई, उपसंरक्षक को देगा और उपसंरक्षक, सिवाय जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि अनुज्ञप्ति नौचालक के कदाचार के कारण गुम हुई है, नौचालक को एक अस्थायी अनुज्ञप्ति, अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति की मंजूरी दिए जाने तक, जारी करेगा।

**34. नौचालकों द्वारा नौपरिवहन संबंधी चिन्हों इत्यादि में किसी परिवर्तन की सूचना दिया जाना -** जब कोई नौचालक जलमार्ग की गहराई में कोई परिवर्तन देखता है या यह देखता है कि कोई प्रकाशदीप या प्रकाशपुंज हटा लिया गया है, टूट गया है, क्षतविक्षत हो गया है या स्थिति से परिवर्तित कर दिया है या किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत होता है जिसे

नौपरिवहन की सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है तो वह तत्क्षण उसकी विस्तृत रिपोर्ट लिखित में उप संरक्षक को भेजेगा।

**35. नौचालकों द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट दिया जाना** - जब किसी नौचालक के कार्यभार अधीन किसी जलयान के साथ या के द्वारा दुर्घटना हो जाती है तो वह यथासंभव शीघ्र, परन्तु कम से कम दुर्घटना घटने के चौबीस घण्टों के अन्दर ही, परिशिष्ट "ख" पर यथा विहित प्रपत्र में तथ्यों की लिखित रिपोर्ट उप संरक्षक को देगा।

**36. नौचालक द्वारा जलयान के फलक पर संक्रामक बीमारी तथा सुरक्षा अनुपालन का अभिनिश्चय किया जाना** - नौचालक, पत्तन में आनेवाले जलयान पर चढ़ने पर -

(क). यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या समुद्री यात्रा के दौरान फलक पर कोई संक्रामक बीमारी है या रही है। यदि बीमारी है या रही है और वह बीमारी संगरोध नियमों में अधिकथित गंभीर प्रकृति की है, तो वह जलयान को स्थिर करेगा, संगरोध संकेत फहराएगा और इस बारे में पत्तन के संगरोध नियमों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।

(ख). जलयान का वर्तमान और डुबाव अभिनिश्चित करेगा और यह देखेगा कि बाहर जाने के लिए दोनों स्थिरण खुले हैं, यह देखेगा कि राष्ट्रीय चिह्न फहरा रहा है और पताका समय-समय पर पत्तन के नियमों द्वारा यथापेक्षित जलयान का नाम और अन्य संकेत दर्शाते हुए ऐसी रीति से फहराई गई हैं जिससे वे पत्तन संकेत स्टेशन से स्पष्टता देखी जा सकें।

## भाग - VI

### प्रशासनिक प्रक्रियाएँ

**37. नियंत्रण (सिग्नल) स्टेशन में लोगबुक का रखा जाना** - नियंत्रण स्टेशन के प्रभारी एक ऐसा लोगबुक अनुरक्षित करेंगे जिसमें उपसंरक्षक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी विवरण निहित होंगे। साथ ही वह उक्त लोगबुक उपसंरक्षक को सप्ताह में एक बार निरीक्षण हेतु भी उन्हें भेजेगा।

**38. वरिष्ठ नौचालकों द्वारा अधीनस्थ नौचालकों, कनिष्ठ नौचालकों और परिवीक्षाधीन नौचालकों को आदेश दिया जाना** - हार्बर मास्टर अधीनस्थ नौचालकों को नौचालकों के कार्य से संबंधित सभी शाखाओं में कनिष्ठ नौचालकों, परिवीक्षाधीन नौचालकों को सहायता प्रदान करने के अनुदेश देगा।

**39. नौचालकों द्वारा साक्ष्य किया जाना** - कोई नौचालक जब तक सपीना के अधीन न हो किसी ऐसे परीक्षण या जांच में उप संरक्षक की पूर्वानुमति के बिना साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं होगा जिसमें वह एक पक्षकार नहीं है और सपीना के अधीन साक्ष्य देने के लिए कोई नौचालक फौरन तथ्यों की रिपोर्ट लिखित में उप संरक्षक को देगा।

**40. नौचालकों द्वारा चार्टों का परीक्षण -** सभी नौचालक पत्तन की नवीनतम योजनाओं और चार्टों तथा पत्तन से संबंधित अन्य जानकारी के परीक्षण के लिए उपसंरक्षक या हार्बरमास्टर के कार्यालय में अक्सर उपस्थित होंगे।

**41. नौचालकों की वर्दी -** नौचालक जब ड्यूटी पर हों तब विहित वर्दी ही पहनेंगे और अपने नियंत्रण अधिकारियों से सम्पर्क के दौरान वर्दीधारी अधिकारियों से अपेक्षित सामान्य अनुशासन तथा शिष्टाचार का पालन करेंगे।

**42. नौचालकों को उचित खाना तथा विश्राम संबंधी आवास प्रदान किया जाना - -** जलयान का मास्टर, यदि जलयान बंदरगाह में है और वाडीनार के मामले में यदि एकल बोया नौबंद में लंगर डाले हुए है तो वह नौचालक के लिए यदि आवश्यक हो, उचित आवास तथा नाश्ते, दोपहर तथा रात्रि को भोजन की व्यवस्था करेगा। ऐसा न होने पर संबंधित जलयान का मास्टर नौचालक को न मिले किसी भी भोजन के लिए रु. 200/- की दर से प्रतिकर का भुगतान करेगा।

## भाग - VII

### सामान्य

**43. निर्वचन -** यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो उसे अध्यक्ष को भेजा जाएगा और तत्संबंधी उसका निर्णय ही अंतिम होगा।

परन्तु कोई नौचालक अध्यक्ष के आदेश प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर बोर्ड को अभ्यावेदन दे सकता है और बोर्ड जैसा योग्य समझे, आदेश दे सकता है।

**44. निरसन तथा व्यावृत्तियाँ -** इन विनियमों के प्रारंभ होने से कंडला पोर्ट (नौचालकों को प्राधिकृत किया जाना) विनियम 1964 निरसित हो जाएंगे -

परन्तु कि - (क) ऐसे निरसन से उक्त विनियमों अथवा आदेशों अथवा प्रक्रिया अथवा तद्धीन की गई किसी बात अथवा किसी कार्रवाई का पूर्व प्रवर्तन प्रभावित नहीं होगा।

(ख) इन विनियमों के प्रारंभ के समय उक्त विनियमों के अधीन लंबित होने वाली कोई कार्रवाई यथासंभव इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार यथासाध्य प्रकार से की जाएगी और निपटाई जाएगी।

**परिशिष्ट - क**  
**क्षतिपूर्ति - बंधपत्र**  
**( नौचालकों द्वारा निष्पादित किया जाना है )**

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं -----  
 जिला ----- के ----- का रहनेवाला, वर्तमान में कंडला पोर्ट में  
 परिवीक्षाधीन नौचालक के रूप में नियोजित हूँ और कंडला पोर्ट (नौचालकों को प्राधिकृत किया जाना )  
 विनियम 2013 के विनियम 6 के उप-विनियम (3) के अनुसार स्वयं को और मेरे उत्तराधिकारियों,  
 निष्पादकों और प्रशासकों को बोर्ड की मांग पर मुझे प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रशिक्षणार्थ खर्च की गई  
 लागत तथा वेतन अथवा वृत्तिका की राशि के समतुल्य राशि के संदाय हेतु एतद्द्वारा आबद्ध करता हूँ।

और यतः बोर्ड के बेहतर बचाव के लिए मैं नीचे लिखी गई शर्तों के साथ यह बंधपत्र  
 निष्पादित करने हेतु सहमत हुआ हूँ।

अब ऊपर लिखी बाध्यता की यह शर्त है कि कंडला पोर्ट ट्रस्ट में दो वर्षों के मेरे परिवीक्षाकाल  
 की समाप्ति के बाद वहाँ कम से कम पाँच वर्षों की सेवा करने से पूर्व मेरे त्यागपत्र देने अथवा नौकरी छोड़  
 देने अथवा उक्त पाँच वर्षों की निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के दुराचरण के कारण नौकरी से  
 निकाल देने अथवा पदच्युति की स्थिति में मैं स्वयं ही तत्काल बोर्ड को अथवा बोर्ड की मांग पर जैसा  
 निदेश दिया जाए मुझे यथा पूर्वोक्त प्रशिक्षण दिए जाने के मद्दे खर्च की गई प्रशिक्षण की लागत तथा  
 वेतन अथवा वृत्तिका की राशि के समतुल्य उक्त राशि का तुरंत ही संदाय करूंगा।

और इस प्रकार मेरे द्वारा किए गए भुगतान के बाद उपर लिखित बाध्यता प्रभावहीन और शून्य  
 हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावी और बलशाली रहेगी।

दो हजार ----- के माह ----- के ----- दिन को।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ----- द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रदत्त।

(परिवीक्षाधीन नौचालक के हस्ताक्षर)

1.-----

2.-----

निम्न लिखित व्यक्ति द्वारा बोर्ड के निमित्त तथा उसकी तरफ से स्वीकृत

उपसंरक्षक  
 कंडला पोर्ट ट्रस्ट

निम्नलिखित व्यक्ति की उपस्थिति में कंडला पोर्ट के न्यासी मंडल की सामान्य मोहर लगाई गई।

(सचिव)  
 कंडला पोर्ट ट्रस्ट



परिशिष्ट -ख**दुर्घटना से संबंधित नौचालक की रिपोर्ट**

( इसे भरकर तुरंत तट पर भेजा जाए )

सेवा में,

उप संरक्षक,

कंडला पोर्ट ट्रस्ट,

- 1 जलयान का नाम
2. दुर्घटना का प्रकार
3. इसके घटित होने की तारीख एवं समय
4. मौसम और हवा एवं ज्वार-भाटे की दिशा तथा प्रचंडता
5. जलयान की अवस्थिति तथा ज्ञात वस्तुओं का सर्वतोमुखी दिक्स्थिति
6. भुग्नस्त होने का स्वरूप
7. दुर्घटना का कारण
8. जलयान के प्लवन या उसे निकालने हेतु उपयोग में लाए गए साधन
9. जलयान के भुग्नस्त पड़े रहने अथवा टकराव की स्थिति में समय की दीर्घता और क्या वह रिपोर्ट का अग्रेषण करते समय इसी स्थिति में पड़ा रहा ।
10. क्या और भी साधनों या उपकरणों की आवश्यकता है ? यदि ऐसा है तो वे कौन से हैं, बताएँ ।
11. अन्य कोई विवरण

विशेष टिप्पणी - इस रिपोर्ट के अलावा नौचालक को 24 घंटों के अंदर लिखित रूप में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होगी ।

दिनांक -----

नौचालक के हस्ताक्षर -----

मैंने नौचालक द्वारा बताई गई उपरोक्त दुर्घटना से संबंधित विवरणों, जो सही है / सही नहीं है का अवलोकन किया है तथा इससे सहमत हूँ/सहमत नहीं हूँ ।

हस्ताक्षर -----

जलयान का मास्टर -----

जलयान के मास्टर की टिप्पणियाँ

611 4/13-5

## भारत सरकार

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

## स्वास्थ्य संबंधी समुद्रीय घोषणा

(विदेशी पत्तनों से आनेवाले जलयानों के मास्टरों द्वारा सक्षम प्राधिकारी को विधिवत् भरकर प्रस्तुत किया जाए)

पत्तन पर दिनांक ----- को प्रस्तुत की गई

जहाज या अंतर्देशीय नौचालन जलयान का नाम -----

पंजीकरण संख्या/आईएम ओ. संख्या -----

से आगमन तथा ----- को प्रस्थान,

जलयान की राष्ट्रीयता (ब्रंडा) ----- मास्टर का नाम -----

सकल टन भार ----- अंतर्देशीय नौचालन जहाज टन भार -----

क्या एक मान्य स्वच्छता नियंत्रण छूट/नियंत्रण प्रमाणपत्र जहाज में लाया गया है ? हाँ/नहीं -----

पर, दिनांक ----- को जारी किया गया ।

क्या जहाज/जलयान ने ऐसे क्षेत्र का दौरा किया गया है, जिसकी पहचान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रभावित क्षेत्र के रूप में की गई है ? हाँ/नहीं -----

पत्तन का नाम या दौरे की तारीख -----

समुद्री यात्रा के प्रारंभ से प्रस्थान की तारीखों सहित अथवा विगत तीस दिनों के अंदर, जो भी कम हो, पत्तनों की सूची दे -----

आगमन पोर्ट के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर जहाज कर्मियों, यात्रियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की सूची तैयारी करें जो पोत/जहाज में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा प्रारंभ होने पर अथवा पिछले तीस दिनों के अंदर शामिल हुए हैं, जो भी कम हो, इस अवधि में दौरा किए गए सभी पत्तनों/देशों को भी शामिल करें (संलग्न अनुसूची में अतिरिक्त नाम जोड़े)

(1) नाम ----- (1) ----- (2) ----- (3) ----- से शामिल

(2) नाम ----- (1) ----- (2) ----- (3) ----- से शामिल

(3) नाम ----- (1) ----- (2) ----- (3) ----- से शामिल

जहाज पर कर्मियों की संख्या -----

जहाज पर यात्रियों की संख्या -----

**स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न**

1. क्या समुद्री यात्रा के दौरान जहाज पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी दुर्घटना को छोड़कर, ? हाँ/नहीं
2. क्या फलक पर या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा के दौरान किसी ऐसे रोग का मामला सामने आया है जिसके संक्रामक प्रकृति के होने का संदेह हो । हाँ/नहीं यदि हाँ तो संलग्न अनुसूची में विवरण दें ।
3. क्या समुद्री यात्रा के दौरान बीमार यात्रियों की कुल संख्या सामान्य/अपेक्षा से अधिक है । हाँ/नहीं, कितने बीमार व्यक्ति है ? ----
4. क्या अभी कोई बीमार व्यक्ति फलक पर है ? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो तत्संबंधी विवरण संलग्न सूची में बताएं
5. क्या किसी चिकित्सक का परामर्श लिया गया ? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो वे गई चिकित्सा तथा चिकित्सकीय सलाह के विवरण संलग्न अनुसूची में प्रस्तुत करें।
6. क्या आप फलक पर होनेवाली ऐसी परिस्थिति से अवगत है जिसके कारण संक्रमण तथा बीमारी का फैलाव हो सकता है ? हाँ/नहीं, संलग्न अनुसूची में विवरण दें ।
7. क्या कोई स्वास्थ्यकर उपाय (अर्थात् संगरोध, अलगाव, विसंक्रमण तथा विसंशुद्धि) फलक पर अपनाए गए हैं ? हाँ/नहीं/यदि हाँ तो संलग्न अनुसूची में विवरण दें ।
8. क्या फलक पर कोई छिपकर यात्रा करनेवाला मिला है ? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो वे जहाज पर कहाँ शामिल हुआ (यदि दर्शाया गया हो तो) -----
9. क्या फलक पर कोई बीमार या पालतू जानवर है ? हाँ/नहीं

टिप्पणी: शल्य चिकित्सक की अनुपस्थिति में मास्टर निम्नलिखित लक्षणों को एक संक्रामक प्रकृति के रोगों के अस्तित्व होने का आधार मान सकते हैं ।

- क) ज्वर, कई दिनों से लगातार है या जिसके साथ (i) थकान (ii) घटी हुई चैतन्यता (iii) ग्रंथियों की सूजन (iv) गीलिया (v) खांसी अथवा सांस की गति धीमी होना (vi) अस्वभाविक रक्तस्राव या (vii) लकवा
- ख) ज्वर या ज्वर के बिना (i) कोई भी तीव्र फोड़े -फुंसिसा या उद्भेदन (ii) तेज उल्टी (समुद्री -बीमारी के अलावा) गंभीर दस्त या (iv) बारंबार ऐंठन ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस स्वास्थ्य -घोषणा (अनुसूची सहित) दिए गए विवरण तथा प्रश्नों के उत्तर मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है ।

हस्ताक्षरित -----

मास्टर

प्रतिहस्ताक्षरित -----

दिनांक: -----

जहाज का शल्य चिकित्सक (यदि लाया गया हो)

स्वास्थ्य संबंधी समुद्रीय घोषणा की संलग्न अनुसूची

नाम	श्रेणी या दर्जा	आयु	लिंग	राष्ट्रियता	पोर्ट, दिनक को जहाज/जलयान से जुड़े	बीमारी की प्रकृति	लक्षणों के प्रारंभ होने की तारीख	पोर्ट चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट किया गया	मामले का निपटारा*	रोगी को दी गई दवाइयां या अन्य इलाज	अभ्युक्तियाँ

\*कृपया बताएँ (1) क्या व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हुआ, अब तक बीमार है, या उसकी मृत्यु हुई : और (2) क्या व्यक्ति अभी तक फलक पर है, उसे निकाला गया (पत्तन या हवाई अड्डे का नाम सहित) या उसे समुद्र में दफनाया गया।

**MINISTRY OF SHIPPING**

(PORTS WING)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2013

**G.S.R. 90(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust (Authorisation of Pilots) Regulations, 2013 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication in the Gazette of India.

[No. H-11011/6/2004-PE-I]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

**SCHEDULE****Kandla Port Trust [Authorisation of Pilots] Regulations, 2013**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Kandla Port (Authorisation of Pilots) Regulations 1964, the Board of Trustees of the Port of Kandla, hereby makes the following regulations, namely-

**PART – I**

1. **Short title and commencement** – (1) These Regulations may be called the Kandla Port Trust (Authorization of Pilots) Regulations, 2013

(2) These Regulations shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. **Definitions.** – In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) "Board", "Chairman" and "Deputy Chairman" shall have the same meaning as in the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

[b] "Control Station" means the station through which the direction of management of pilotage is vested;

(c) "Deputy Conservator" means the Officer in whom the direction and the management of Pilotage are vested;

(d) "Harbour Master" means the Officer appointed to perform such duties as may, from time to time, be assigned to him by the Deputy Conservator;

(e) "Limits of Compulsory Pilotage Waters" mean the limits defined under sub-section [2] of Section 4 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908);

(f) "Outer Tuna Buoy" means the name of the fairway buoy at the entry point of incoming Vessels. Pilotage is compulsory and the Pilots board the incoming vessels and disembark from outgoing vessels at pilotage point near Outer Tuna Buoy;

(g) "Master" or "Master of the Vessel" includes any officer (except a Pilot or Harbour Master) having overall command or charge of the vessel and is required to keep all equipment required towards the safety of the vessel, in readiness, which includes anchoring and steering of the vessel;

(h) "Pilot" means an Officer licensed under these regulations to perform pilotage duty of guiding the ships to and fro the Port in an advisory capacity and works directly under Harbour Master and Deputy Conservator;

[i] "Pilot Licence" means Licence issued to a person to carry out pilotage of vessels within the port limits of the Port.

(j) "Port" means the Port of Kandla;

## PART – II

### Licensing – Qualifications and Conditions

#### 3. Qualifications of candidates. -

[1] A candidate for Pilot Licence shall:-

- [a] be an Indian national;
- [b] produce certificates of good character and sobriety;
- [c] be in possession of a:-
  - [i] Certificate of Competency as Master [Foreign Going] granted by the Government of India or its equivalent and have preferably experience of six months as First Mate on a foreign – going ship; OR
  - [ii] Certificate as Dredge Master issued by the Directorate General of Shipping and have preferably experience of two years as a Dredge Master; OR
  - [iii] have successfully completed training as Pilot under the In-house Training of Pilots at the Port, as may be decided by the Board from time to time in consultation with the Director General of Shipping;
- [d] obtain a certificate of physical fitness from such medical authority as may be prescribed by the Chairman for the purpose; and
- [e] unless the Chairman otherwise determines, serve a period of probationary training of not less than six months and successfully pass the prescribed examination.

Provided that the period of probationary training may be extended beyond six months for sufficient and valid reasons such as:-

6114913-6

- (i) candidate is unable to complete required phases of training due to his own illness, or has to proceed on leave for sufficient and valid reasons or due to any national emergency etc;
- (ii) in the interest of the Port or Government of India, the candidate is required to be allotted some other duties [with prior agreement] such as Dredging Master, Berthing Master, etc., and is thus unable to complete his training requirement;
- (iii) candidate for valid reasons is unable to pass his examination during the stipulated period of twelve months and in the view of the Chairman, needs to be given a fair chance to pass the examination;
- (iv) in case of candidates belonging to SC/ST, special extra training or guidance is deemed necessary;

Provided further that the period of probationary training may be curtailed under the following circumstances:

- [i] if the candidate has been a Pilot in the said Port Trust and has rejoined subsequently;
- [ii] if in future modern technology such as a simulator is used for training.

**[2] Position in Station, description and flags and signal of identification of Pilots launch or boat.-**

- (1) The Pilot will board incoming vessels and disembark from outgoing Vessels by Pilot launch at Outer Tuna Buoy.
- (2) The launch or boat will have the word 'PILOT' amidships on each side.
- (3) The Pilot launch when on station, shall –
  - (a) during the day time, exhibit a red and white flag, the upper horizontal half of which shall be white and the lower horizontal will be red, and
  - (b) during night, exhibit lights in accordance with the rules or law for the time being in force.

**[3] The Pilot Station and Shore Station. –** The Harbour Master through Signal Station shall monitor the boarding and disembarking of Pilots and shall exercise control over them.

**[4] Harbour Master's control over the Pilot. –** The Harbour Master shall have control over Pilots in pilotage charge of vessels while entering or leaving the Port or mooring or berthing or unberthing at any anchorage or berth in the Port. The Pilots shall not leave the headquarter without prior permission from the

Harbour Master or an Officer acting on his behalf. While seeking permission to leave the headquarters the Pilot shall give the address and the telephone number on which he can be contacted, if required.

4. **Pilot Licence.** – (1) All Pilots shall hold Pilot Licence to perform the duties of a Pilot for the Port of Kandla. This Licence for restricted pilotage or full pilotage, subject to the sanction of the Central Government, shall be issued under the signature of Chairman and sealed with the common seal of the Board and revocable by the Chairman.

(2) A Pilot severing his connection from the Port shall forthwith surrender his Pilot Licence to the Deputy Conservator.

(3) The Pilot Licence may be revoked by the Chairman in circumstances such as:

(a) proven misconduct and/or misconduct under the conduct and discipline rules;

(b) professional misconduct; (means willful default or departure from the Regulations concerning the pilotage in force from time to time);

(c) shipping casualties (accidents) where professional competence is questioned or negligence proved after enquiry into the accident;

(d) where formal court of enquiry instituted into marine casualty holds Pilots responsible for an accident;

(e) on cessation from service if the licence is not surrendered as required under regulation (2) above; and

(f) on being medically found unsuitable for Pilotage jobs.

(4) A Pilot shall retain Licence on subsequent promotions in the Pilotage services upto the post of Deputy Conservator and continue to pilot vessels as per the requirement.

5. **Conditions for joining the Pilot Service in Port.** – A person shall not be appointed as a Pilot until and unless he satisfies the Chairman that he fulfills the following conditions, namely:-

(a) The conditions of eligibility laid down in regulation 14(b) and 14(c) of the Kandla Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations 1964;

(b) On the date of appointment as a Probationary Pilot he is of an age not below 25 years but not exceeding 35 years unless otherwise relaxed by the Chairman; and

- (c) That he possesses the qualifications specified under Regulation 3.

### PART – III

#### TRAINING AND EXAMINATION

6. **Training.** – (1) During the period of training, probationary pilot will, be instructed in duties of a Pilot, the lights, the landmarks, buoyage, etc. of the Harbour, the handling of ships within the pilotage waters of the Port, berthing or unberthing of vessels within the dock basins, handling the port trust owned suction dredger and operating her dredging equipments, etc.

- (a) On completion of the training, the probationary pilot may, subject to the approval of Deputy Conservator, apply to be examined as to his qualifications to pilot ships;

Provided that the period of Training be extended beyond three months but not more than six months for sufficient and valid reasons such as :—

(i) candidate is unable to complete required phases of training due to his own illness, or has to proceed on leave for sufficient and valid reasons or due to any national emergency, etc;

(ii) candidate for valid reasons is unable to pass his examination during the stipulated period and in the view of Chairman, needs to be given a fair chance to pass examination;

Provided further that the training during the period of probation may be curtailed under the following circumstances:

- (i) If the Pilot on probation has been a Pilot in Kandla Port Trust or any other Major Port in the country and has rejoined Kandla Port Trust subsequently;
- (ii) if in future modern technology such as a simulator is used for training.
- (b) A candidate for a Restricted Pilotage Licence shall comply with the requirements under (a) and unless the Board determines, serve a period of training of not less than one month or till such time he attends a minimum of thirty Acts of Pilotage involving crossing the channel whichever is later.
- (c) On completion of the training, the probationary Pilot may, if recommended by the Harbour Master and subject to the approval of Deputy Conservator, apply to be examined for grant of restricted pilotage licence.



(2) No fee for Pilot licence is recovered as the Probationary Pilot is an employee of the Port Trust and whenever the Pilot leaves the job from the Port Trust the licence so issued to him is surrendered.

(3) The candidate selected for appointment, as a Pilot shall execute the Bond to serve Kandla Port for a minimum period of five years on completion of Probationary period of two years as per prescribed format at Appendix-A attached to these Regulations. The indemnity amount should be equal to the cost of training plus the amount being paid to the probationary Pilot as salary or stipend.

7. **Subjects of Examination.** – The examination shall include the following subjects, namely;

- regulations and rules framed for navigating in the Harbour and approaches to the dock and piers;
- course and distance between any two places;
- rise and set of tides;
- depth and character of soundings;
- anchorages, rocks, shoals and other dangers, landmarks, buoys, beacons and lights within the Port;
- management of ships and steamers; how to bring them to anchor and to keep them clear of their anchors in a tideway;
- to moor and unmoor and get underway;
- to handle a vessel under all conditions; and
- such other subjects as may be determined by the Examination Committee.

8. **Examination Committee.** – The examination of the Probationary Pilot shall be conducted by an Examination Committee composed of as follows:

- |       |                                  |          |
|-------|----------------------------------|----------|
| (i)   | The Deputy Conservator           | Chairman |
| (ii)  | The Harbour Master               | Member   |
| (iii) | A Master of a Foreign Going Ship | Member   |

On completion of prescribed training, the probationary Pilot may apply to be examined for grant of restricted pilotage licence to the Deputy Conservator, subject to recommendation by at least two senior Pilots and Harbour Master regarding capability of the probationary Pilot to pilot vessels.

9. **Failure to pass Examination.** – (1) In the event of a probationary Pilot failing to pass the specified examination within twelve months of his appointment, he will be liable to be discharged.

(2) In the event of a probationary Pilot after completion of his training period fails the examination, he will be given an extension of Training period and be permitted to appear in the examination a second time. In case his performance is not found satisfactory in the second examination also, his services as probationary Pilot will be terminated.

10. **Issue of Licence.** - [1] On successful completion of the examination, the Pilot shall be issued the Pilot Licence under Regulation 4 above.

[2] The fee for a Pilot's Licence, and for renewal thereof in case of mutilation or loss, shall be prescribed by the Board from time to time.

11. **Classification of Pilots.** – (1) A Pilot on being licensed will be permitted to pilot Vessels as follows:-

- (a) during the first six months, attached to the berthing service and perform berthing or unberthing of vessels (except dangerous petroleum tankers, men-of-war and ships loaded with explosives) not exceeding 11000 tonnes gross register during day light hours only;
- (b) during the next six months, vessels (except dangerous petroleum tankers, men-of-war and ships loaded with explosives) not exceeding 16000 tonnes gross register during day light hours only;
- (c) during the next six months vessels (except dangerous petroleum tankers, men-of-war and ships loaded with explosives) of 12000 tonnes gross register during hours of darkness;
- (d) during the next six months, after passing a departmental examination conducted by the Deputy Conservator and Harbour Master, vessels of unrestricted tonnage, type and class during day light hours and vessels upto 16000 tonnes gross register of any type or class during hours of darkness.
- (e) Thereafter, on completion of six months, full tonnage or open tonnage i.e. all vessels without restriction during day and night.

**Note:-**

- (i) Transfer of Pilot from one class to the next higher class will be on the recommendation of the Harbour Master and subject to the approval of the Deputy Conservator.
- (ii) The period of three months or six months as specified above shall be extended by the period of leave, if any, availed by the Pilot.

*Explanation.* – For the purpose of above rules, the “hour of darkness” means half an hour after sunset to half an hour before sunrise.

#### PART – IV

#### SHORE STATION – MONITORING AND CONTROL

12. **Duties of Pilots.** – The duties of a Pilot shall include -
- (a) Piloting of Vessels in and out of the harbour, berthing, unberthing and shifting of vessels;
  - (b) Take command of dredgers as and when necessary and Port crafts or tugs when proceeding beyond Port limits and also in case of contingencies like strike, etc. by the workers, on the instructions of Deputy Conservator;
  - (c) To attend and monitor the pull back operations during pilotage at Single Buoy Mooring (SBM) throughout the Vessel's Stay.
13. **Dock Masters to do duties at Shore Station.** – The Dock Masters at various shore stations shall perform their duties, in rotation for such periods as may from time to time be ordered by the Deputy Conservator. The Dock Master at the control station shall perform such duties, including control of the Vessel Traffic Service Station, as may be specified by the Deputy Conservator.
14. **The Pilot Station and the Shore Station.** – The Harbour Master at the Control Station shall monitor the boarding and disembarking of Master Pilots or Pilots and shall exercise control over them.
15. **Operational Control of Pilots.** – The Harbour Master shall have the control over Master Pilots and Pilots in pilotage charge of vessels while entering or leaving the port, mooring or unmooring and berthing or un-berthing at any anchorage, berth, dock within the port.
16. **Boarding inward bound – vessels, etc.** – The Harbour Master at the Control Station shall ensure that the Master Pilot or Pilot on turn for boarding inwards are duly boarded upon inbound vessels requiring Pilots. Also ensure that Master Pilot or Pilot are disembarked from outbound vessels.
17. **Power to direct Pilots to take charge of a Vessel of higher tonnage in certain circumstances.** – The Deputy Conservator or Harbour Master may, if necessary, direct a Pilot to pilot a vessel exceeding in tonnage the Vessels which he is qualified for under regulation 12 to Pilot. In every such case, the Deputy Conservator or Harbour Master shall forthwith send a report in writing to the Chairman stating the reasons which in his opinion necessitated such action.

18. **Harbour Master to Regulate Attendance of Pilots on Vessels.** – Pilots on shore duty shall be detailed under the supervision of the Harbour Master to vessels requiring their services and a list showing the rotation in which Pilots, having regard to their respective classes, are to be allotted to such vessels shall be drawn up and kept in the office of the Deputy Conservator or Harbour Master. The allocation of Pilots for individual movements in accordance with the list drawn up in the Deputy Conservator's office and any adjustments necessitated by changes or cancellations of allocations of Pilots shall be attended to by the signal station.

## PART – V

### DUTIES OF PILOTS

19. **Pilots to obey the order of the Authority.** – A Pilot shall obey and execute all orders and regulations given or issued by the Chairman, the Deputy Chairman, the Deputy Conservator and or the Harbour Master. He shall also obey all orders given by Deputy Conservator or Harbour Master relating to berthing, unberthing, shifting and towing of vessels under his charge.

20. **Pilots Behaviour.** – (1) A Pilot shall at all times exercise strict sobriety. He shall be the incharge of the vessel throughout the time and use his utmost care and diligence for her safety and the safety of other vessels and property. He shall not lay by the vessel aground without a written order from the owner or Officer in command.

(2) A Pilot is an employee of the Board and governed by the Kandla Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations for all his service matters and, therefore, in the event of any misconduct or misbehaviour while in service liable to disciplinary proceedings under Kandla Port Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations as amended from time to time.

21. **Pilots to obtain certificate of service performed by them.** – A Pilot shall on boarding the vessel handover the arrival or departure report to the Master who shall enter therein all the required particulars over his signature. The arrival report shall be duly filled in and returned to the Pilot before the vessel reaches middle ground the departure report before reaching Outer Tuna Buoy. Transporting and anchoring certificates shall be filled by the Pilot and presented to the Master for signature when the duties of Pilot are completed.

22. **Pilots to go on board vessels in good time.** – A pilot about to take charge of a vessel which is outward bound, or which is about to be moved from the berth in which she is lying, shall go on board and report himself to the officer in command at the time appointed, i.e. in sufficient time for her to be moved out to sea or to her destination.

23. **Pilots to see that vessel and her equipment are in order.** – A pilot before taking charge of an inward or outward bound vessel or shifting of vessel shall enquire from the Master of the Vessel whether the steering gear is connected and in proper working order and direct that both the anchors be ready for letting go.

24. **Pilot to acquaint with the movement of vessels.** – All Pilots prior to boarding the vessel, acquaint themselves with the movement of vessels in the harbour and the Pilot on board in each of them.

25. **Commencement of Pilot's outward duties.** – The duties of a Pilot in regard to outward bound vessel shall commence on boarding the vessels at any wharf, pier, jetty or anchorage.

26. **Termination of Pilot's outward duties.** – The duties of a Pilot in regard to an outward bound vessel shall cease when he has piloted the vessel upto the limits of the compulsory pilotage waters (Outer Tuna Buoy).

27. **Commencement of Pilot's Inward duties.** – The duties of a Pilot in regard to an inward bound vessel shall commence when he boards the vessel at the pilot station within the compulsory pilotage limits of the Port (Outer Tuna Buoy).

28. **Termination of Pilot's inward duties.** – The duties of a Pilot in regard to any inward bound vessel shall cease at any wharf, pier, berth or jetty or anchorage when the vessel is safely moored, berthed and secured or anchored. However, in case of Single Buoy Mooring (SBM) operation, the Pilot will stay on board to monitor the pull back operation throughout the vessel's stay.

29. **Moving of Vessel.** – No Pilot shall move or direct the moving of any vessel within the Port from one position to another unless the following conditions are fulfilled -

- (i) If the vessel is underway, the Master shall be on board;
- (ii) if the Master leaves the vessel before the movement is completed, the Pilot shall direct the vessel to be anchored in such safe position as may be most easily reached by the vessel and shall not give directions to proceed with the moving until the return of the Master to the vessel;
- (iii) throughout the moving, the number of officers and crew on board and available for duty shall be sufficient to perform any duty which may be required, and if the Pilot on board considers that the number is not sufficient, he shall call the Master's attention to the Port rules and refuse to proceed with the moving unless the Master first signs a declaration under his own hand expressly assuming entire responsibility.

**Explanation:** In this Regulation, the expression "Master" shall include the first or other officer duly authorized to act for the Master in the event of the latter being incapacitated from performing the duties of his office.

611 2713-8

30. **Pilots to report on landing.** – On landing, after piloting a vessel inward and or transporting a vessel in the stream, or returning from the pilot vessel, a Pilot shall report without delay to the signal station the time of his landing ashore by entering his name on the roster kept for this purpose, for further duty.
31. **Pilots not to bring vessels into dock when the signal is against him.** – A Pilot shall not bring a vessel into dock or alongside a berth unless cleared to do so by the shore station.
32. **Pilots when on duty to carry with them their licence, etc.** – A Pilot when on duty shall always have with him an official Tide Table for the Port, a copy of the Port rules, pilotage regulations presently in force and his licence.
33. **Loss of Licence.** – A pilot losing his licence shall forthwith give notice thereof to the Deputy Conservator, stating the circumstances in which the licence was lost, and the Deputy Conservator shall unless he is satisfied that the loss has been caused by the Pilot's misconduct, issue the Pilot a temporary licence pending the grant of a duplicate licence by the Chairman.
34. **Pilots to give information of any alterations in navigational marks, etc.** – A pilot who has observed any alteration in the depth of the channels, or has noticed that any buoys, beacons or light vessels have been driven away, broken down, damaged or shifted from position, or has become aware of any circumstances likely to affect the safety of navigation shall forthwith send a detailed report thereof in writing to the Deputy Conservator.
35. **Pilots to report casualties.** – A Pilot, whenever, any accident has happened to or been caused by a vessel while in his charge, shall as soon as possible and not later than twenty four hours of the accident, report the facts in writing in the form prescribed for the purpose as per Appendix-B, to the Deputy Conservator.
36. **Pilots to ascertain quarantine and security compliance.** – A Pilot on boarding an inward bound vessel, shall -
- (a) ascertain whether there is, or has been during the voyage, any infectious disease on board. If there is, or has been, and the disease is of a serious nature as laid down in the quarantine rules, he shall anchor the vessel, hoist the quarantine signal and carry out the instructions contained in the said quarantine rules in this respect; and
  - (b) ascertain the vessel's present draught and see that both anchors are clear to be let go; see that the national Ensign is hoisted and the flags denoting the name of the vessel and any other signals, as required by Port rules from time to time, are hoisted in such a manner as to be clearly seen from the Port signal station.

---

**PART – VI****ADMINISTRATIVE PROCEDURES**

37. **Log Book to be kept at control (Signal) station.** – The incharge of control station shall maintain a logbook containing such particulars as may be specified by the Deputy Conservator. He shall also forward the logbook to the Deputy Conservator for inspection once in a week.

38. **Senior Pilots to give instructions to subordinate Pilots, Junior Pilots and Probationary Pilots.** – Harbour Master shall instruct the subordinate Pilots to assist Junior Pilots and Probationary Pilots in all branches of a Pilot's duty.

39. **Pilots giving evidence.** – A Pilot shall not attend to give evidence in any trial or enquiry to which he is not a party, unless he is under subpoena, without the prior permission of the Deputy Conservator and a Pilot under subpoena to give evidence shall at once report the fact in writing to the Deputy Conservator.

40. **Pilot's examination of charts.** – All Pilots shall attend frequently at the office of the Deputy Conservator or Harbour Master to examine the latest plans and charts of the port and other information concerning the Port.

41. **Pilot's uniform.** – Pilots shall wear the prescribed uniform while on duty and they shall abide by the normal discipline and decorum expected from officers in uniform when dealing with their controlling officers.

42. **Pilot to be provided with proper food and resting accommodation.** – The Master of a Vessel shall provide the Pilot with reasonable accommodation, if necessary breakfast, lunch and dinner, as the case may be, if the Vessel is at anchor in the harbour and at Single Buoy Mooring (SBM) in the case of Vadinar, failing which the Master of the respective Vessel shall pay compensation at the rate of Rs.200/- for any of the meals missed by the Pilot.

**PART – VII****GENERAL**

43. **Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Chairman:-

Provided that any Pilot may within sixty days of the receipt of the order of the Chairman make a representation to the Board and the Board may make such orders thereof as it deem fit.

44. **Repeal and Savings.** – On commencement of these regulations, Kandla Port [Authorization of Pilots] Regulations 1964 stands repealed:

Provided that – [a] such repeal shall not affect the previous operation of the said Regulations or orders or practices or anything done or actions taken thereunder; and

[b] any proceeding under the said Regulations pending at the commencement of these regulations shall be conducted and disposed of, so far as may be feasible, in accordance with these regulations.

### **APPENDIX – A**

#### **INDEMNITY BOND** **(TO BE EXECUTED BY PILOTS)**

Know all men by this presents that I, \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ in the District of \_\_\_\_\_ at present employed as a probationary Pilot in the Port of Kandla, do hereby bind myself and my heirs, executors, and administrators to pay to the board on demand a sum equivalent to the cost of Training plus the amount of Salary or Stipend on account of my having been placed for training as per sub-regulation (3) of Regulation 6 of Kandla Port (Authorisation of Pilots) Regulations, 2013

And whereas for the better protection of the Board I have agreed to execute this bond with such condition as hereunder is written.

Now the condition of the above written obligation is such that in the event of my resignation or leaving service before serving Kandla Port Trust for a minimum period of five years on completion of my probationary period of two years or in the event of my removal or dismissal from service for any kind of misconduct during the prescribed period of the said five years, I shall forthwith pay to the Board or as may be directed by the board in demand, the said sum equivalent to the cost of Training plus the amount of Salary or Stipend on account of my having placed for training as aforesaid.

And upon my making such payment, the above written obligation shall be void and of no effect, otherwise, it shall be and remain in full force and virtue.

Dated this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ on two thousand \_\_\_\_\_.

Signed and delivered by \_\_\_\_\_ in the presence of witness.

(Signature of the Probationary Pilot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

For and on behalf of the Board accepted by:

Deputy Conservator  
Kandla Port Trust

Common seal of the Board of Trustees of the  
Port of Kandla affixed in the presence of

(Secretary)  
Kandla Port Trust\



**APPENDIX – B****PILOT'S REPORT OF ACCIDENT  
(To be filled in and sent on shore immediately)**

To

The Deputy Conservator,  
Kandla Port Trust.

1. Name of Vessel
2. Nature of accident
3. Date & time of its occurrence
4. State of the weather, direction and force of wind and tide
5. Position of vessel, and all-round bearing of known objects
6. Nature of the ground
7. Cause of accident
8. Means used to get the vessel afloat or clear
9. Length of time vessel lay aground, or in collision and if she so remains at the time of forwarding this report.
10. If further means or appliances are required and if so, what they are
11. Any other particulars

**N.B. In addition to this report, the Pilot must send a written detailed report within 24 hours**

Date: \_\_\_\_\_

Pilot's Signature \_\_\_\_\_

I have perused and do concur/not concur in the particulars of the accident above reported which are correct/not correct as stated by the Port.

Signature \_\_\_\_\_

Master of the Vessel \_\_\_\_\_

Remarks of the Master of the Vessel

611 4713-9

**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE**  
**MARITIME DECLARATION OF HEALTH**

(To be completed and submitted to the competent authorities  
 by the Masters of the vessel arriving from the foreign ports)

Submitted at the port of \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
 Name of the Ship or Inland navigation vessel \_\_\_\_\_  
 Registration No./IMO No. \_\_\_\_\_  
 Arriving from \_\_\_\_\_ Sailing to \_\_\_\_\_  
 Nationality(Flag) of the vessel \_\_\_\_\_ Master's Name \_\_\_\_\_  
 Gross Tonnage \_\_\_\_\_ Tonnage inland navigation vessel \_\_\_\_\_  
 Valid Sanitation Control Exemption/Control Certificate carried on board? Yes/No \_\_\_\_\_  
 Issued at \_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_  
 Re-Inspection required? Yes/No \_\_\_\_\_  
 Has ship/vessel visited an affected area identified by the World Health Organization? Yes/No \_\_\_\_\_  
 Port and date of visit \_\_\_\_\_  
 List ports of call from the commencement of voyage with date of departure, or within past thirty days, whichever is shorter.

Upon request of the competent authority at the port of arrival, list crew members, passengers or other persons who have joined ship/vessel since international voyage began or within past thirty days, whichever is shorter, including all ports/countries visited in this period (add additional names to the attached schedule).

(1) Name _____	joined from (i) _____	(2) _____	(3) _____
(2) Name _____	joined from (i) _____	(2) _____	(3) _____
(3) Name _____	joined from (i) _____	(2) _____	(3) _____

Number of crew members on board \_\_\_\_\_

Number of passengers on board \_\_\_\_\_

**Health Questions**

- (1) Has any person died on board during the voyage otherwise than as a result of accident? Yes/No
- (2) If there on board or has there been during international voyage any case of disease which you suspect to be of an Infectious nature? Yes/No, If yes, state particulars in attached schedule.
- (3) Has the total numbers of ill passengers during the voyage been greater than normal/exceeded? Yes/No How many ill persons? \_\_\_\_\_
- (4) Is there any ill persons on board now? Yes/No If yes, state particulars in attached schedule.
- (5) Was a medical practitioner consulted? Yes/No If yes, state particulars of medical treatment or advice provided in attached schedule.

- (6) Are you aware of any condition on board which may lead to infection or spread of disease? Yes/No If yes, state particulars in attached schedule.
- (7) Has any sanitary measures (e.g. quarantine, isolation, disinfection or decontamination) been applied on board? Yes/No If yes, state particulars in attached schedule.
- (8) Has any stoways been found on board? Yes/No If yes, where did they join the ship (if shown)? \_\_\_\_\_
- (9) If there a sick animal or pet on board? Yes/No

Note: In the absence of a surgeon, the master should regard the following symptoms as grounds for suspecting the existence a disease of an infectious nature:

- (a) fever, persisting for several days or accompanied by (i) prostration (ii) decreased consciousness (iii) glandular swelling:  
(iv) Jaundice(v) cough or shortness of breath(vi) unusual bleeding:  
or (vii) paralysis.
- (b) With or without fever(i) any acute skin rash or eruption(ii) severe vomiting (other than sea sickness)(ii) severe diarrhea: or (iv) recurrent convulsion

I hereby declare the particulars and answers to the questions given in this Declaration of Health (including the schedule) are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signed \_\_\_\_\_

Master

Countersigned \_\_\_\_\_

Ship's Surgeon (if carried)

Date \_\_\_\_\_

ATTACHED SCHEDULE TO THE MARTIME DECLARATION OF HEALTH

[illegible]

\*State (1) whether the person recovered, is still ill or died: and (2) whether the person is still on board, was evacuated (including the name of the Port or Airport) or was buried at sea.